

मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :-

प्र०-23/उ०बि०(या०) आउटलेट-30-41/2022 2747C333

दिनांक :- 30/11/22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर

सेवा में,

✓ अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

विषय:-

पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत Parsa Maker Road मौजा-चेतन परसा, थाना-परसा, थाना नं०-423, खाता सं०-131, खेसरा नं०-87, जिला-सारण में IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग:-

- (i) आपका पत्रांक-1570 (अनु०), दिनांक-19.12.2022
- (ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक- 08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक- 4770 (E), दिनांक 24.08.2017

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत Parsa Maker Road मौजा-चेतन परसा, थाना-परसा, थाना नं०-423, खाता सं०-131, खेसरा नं०-87, जिला-सारण में IOCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770 (ई०) दिनांक-24.08.2017) तथा संकल्प ज्ञापांक- 1921(S), दिनांक- 08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है। उक्त अनापत्ति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सोनपुर द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणी के आधार पर दी जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का निरीक्षण कर चेकलिस्ट में अंकित विवरणी से संतुष्ट होकर ही अग्रतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 की कड़िका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. MoRTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनओं से स्वयं भी संतुष्टि कर कार्रवाई करेंगे।

अनु०:- मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता, उत्तर